राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014 पार्ट जयपुर, दिनांक : 23 JUN 2015

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित ।

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.04.2015 द्वारा, राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के तहत, परिपत्र दिनांक 17.07.2014 के क्रम में सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से अनुसूचित क्षेत्र में ही बने रहने अथवा गैर–अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में जाने सम्बन्धी विकल्प प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 मई, 2015 निर्धारित की गई थी। अप्रैल, 2015 तक प्राप्त विकल्पों के आधार पर गैर–अनुसूचित क्षेत्रों से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण का कार्य 31 मई, 2015 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। मई, 2015 तक प्राप्त सभी विकल्पों के आधार पर 30 जून, 2015 तक गैर–अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने के भी निर्देश उसी परिपत्र में दिये जा चुके हैं। इस क्रम में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने गैर–अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प दिया है, उनके स्थानान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के तत्सम्बन्धी रिक्त पद, स्थानान्तरण/नयी नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके हैं तथा स्थानान्तरण से अनुसूचित क्षेत्र का विभागीय कार्य संचालन बाधित होने की सम्भावना नहीं है।

उक्त प्रसारित निर्देशों की अक्षरशः पालना 30 जून, 2015 तक सभी विभागों से अपेक्षित है। तदनुसार 30 जून तक सम्पूर्ण अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर सभी विभाग निम्न प्रपत्र में सूचना (दिनांक 10.07.2015 तक) इस विभाग को प्रेषित करते हुए, प्रति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को भी प्रेषित करें।

प्रपत्र

(अनुसूचित क्षेत्र नियमों के तहत विकल्प/स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना)

विभाग का नाम.. **दिनांक** ....

क्र. सं.	पद–नाम	कुल कार्यरत कर्मचारी	अनु. क्षेत्र में ही रहने का विकल्प देने वाले	अनु. क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प देने वाले	गैर अनु. क्षेत्र से अनु. क्षेत्र में जाने का विकल्प देने वाले	गैर अनु. क्षेत्र से अनु. क्षेत्र में स्थानान्तरित कर्मचारी	अनु. क्षेत्र से गैर अनु. क्षेत्र में स्थानान्तरित कर्मचारी	विकल्प देने से शेष कर्मचारी	विकल्प के बावजूद स्थानान्तरण नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

यदि विकल्प एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुका हो तो जनजाति क्षेत्र विकास आयुक्त को भेजे गये प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न करें। यदि कार्य शेष है तो उसके विस्तृत कारणों एवं आगामी कार्य योजना से भी अवगत करावें।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

Ganesh ji//2015/Circular--13

29/2015